



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2017/माघ 24, 1938

No. 367]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2017/MAGHA 24, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2017

का.आ. 403(अ)—यतः, मै. लार्सन एण्ड ट्रूब्रो प्राईवेट लिमिटेड, जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में ग्राम अंखोल तथा बापोद, तालुक बडोदरा, जिला बडोदरा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2686 (अ) दिनांक 18 नवंबर, 2008 एवं का.आ. 1753 (अ) दिनांक 9 मई, 2016 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10 हेक्टेयर एवं 2.1974 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. लार्सन एण्ड ट्रूब्रो प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 07.08670 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, गुजरात सरकार ने उनके दिनांक 24 मई, 2016 एवं 24 सितंबर, 2016 के पत्र सं. /इन्फा/ एसईजेड-शैल/ 1190015 एवं पत्र सं. /इन्फा/ एसईजेड-शैल / 1234146 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 07.08670 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसारण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 07.08670 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 05.1107 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थातः-

तालिका

क्र. सं.	गाँव	सर्वेक्षण संख्या	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	अंखोल	225	2.3176
2.		228	0.1922
3.		230	0.5160
4.		232/A	0.1214
5.		226	0.2529
6.		227	0.3845
7.		231	0.0405
8.	बापोद	513/P	0.0050
9.		514	0.3732
10.		515	1.2647
11.		518	0.5969
12.		519	0.8903
13.		517	0.1315
	कुल		07.0867 हेक्टेयर
	उपर्युक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल		05.1107 हेक्टेयर

[फा. स. एफ. 1/183/2007-एस.ई.जे.ड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2017

S.O. 403(E).—Whereas, M/s. Larsen and Toubro Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services Sector at Village Ankhola and Bapod, Taluka Vadodara, District- Vadodara in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10 hectares and 2.1974 ha at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Numbers S.O. 2686 (E) dated 18th November, 2008 and S.O. 1753 (E) dated 9th May, 2016 ;

And, whereas, M/s. Larsen and Toubro Limited has now proposed for de-notification of 07.0867 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Gujarat has given its approval to the proposal vide their letter No. IC/Infra/SEZ-Cell/1234146 dated 24th September, 2016 and letter No. IC/Infra/SEZ-Cell/1190015 dated 24th May, 2016;

And, whereas, the Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 07.0867 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 07.0867 hectares**, thereby making resultant area as **05.1107 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S.No.	Name of village.	Survey No.	Area to be de-notified (in Hectares)
1.	Ankhola	225	2.3176
2.		228	0.1922
3.		230	0.5160
4.		232/A	0.1214
5.		226	0.2529
6.		227	0.3845
7.		231	0.0405
8.	Bapod	513/P	0.0050
9.		514	0.3732
10.		515	1.2647
11.		518	0.5969
12.		519	0.8903
13.		517	0.1315
	Total		7.0867 hectares
	Total Remaining Area of SEZ after above deletion		05.1107 hectares

[File No. F.1/183/2007-SEZ]
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.